न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सं.1, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : धीरज शर्मा, RJS

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 100/26, C.I.S No-314/2026

1. नवीन कुमार पुत्र रोहिताश उम्र 21 साल निवासी माचाडी थाना राजगढ जिला अलवर।

.....**प्रार्थी/अभियुक्त**

–बनाम–

राज. सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, अलवर। .....**अप्रार्थी**

''जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.
प्र.सू.रि.सं. 66/2026, पुलिस थाना एम आई ए
धारा 305(ए), 331(4) बी एन एस ''

उपस्थितः–

1. विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र यादव, वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री नवनीत कुमार तिवाडी, वास्ते राज्य,

–: आदेश :– **दिनांकः 23.03.2026**

1. प्रार्थी–अभियुक्त **नवीन कुमार** की ओर से जरिये अधिवक्ता उक्त जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत सर्वप्रथम श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, महोदय, अलवर के समक्ष पेश किया गया, वहॉ से यह प्रार्थना–पत्र विधिवत निस्तारण हेतु अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी पहलू खांन ने एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसने गांव मदनपुरी में ज्वैलरी की दुकान की हुई है। वह दिनांक 13.02.2026 को शाम समय करीब 7 पीएम पर दुकान बंद करके अपने घर चला गया थ। दिनांक 14.02.2026 को सुबह समय करीब 6. 30 ए एम पर मकान मालिक का फोन आया कि दुकान का शटर उठा हुआ है, जिस पर वह अपनी दुकान पर पहुंचा तो देखा कि दुकान का शटर का लोक टूटा हुआ था तथा शटर आधी खुली हुई थी। उसने दुकान को चैक किया तो उसमें रखी ज्वैलरी

कुल 01 किलो 800 ग्राम चांदी व 16 ग्राम सोने के आभूषण (50 चांदी की अंगूठी, 50 चांदी की चुटकी, 8 चांदी की चैन, 2 चांदी के गले के हार, 250 ग्राम चांदी के लोकेट, 350 ग्राम चांदी के लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, 8 ग्राम सोने की बाली व 8 ग्राम सोने का नाक का कांटा) गायब मिले..... आदि।

3. मुकामी पुलिस द्वारा एफआईआर संख्या 66/26 दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी–अभियुक्त को गिरफ्तार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.03.2026 को खारिज किया गया। तत्पश्चात प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पेश किया गया।

4. प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड बाबत कोई मुकदमा अंकित नहीं होना प्रकट किया गया है।

5. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने तर्क दिये है कि प्रार्थी अभियुक्त निर्दोष है। उसका आरोपित अपराध से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त से कोई बरामदगी या अनुसंधान शेष नहीं है, काफी समय से अभिरक्षा में हैं। विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

6. प्रत्युत्तर में विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र के तर्को का विरोध करते हुए प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

7. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया। संबंधित केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा– 305(ए), 331(4) बी एन एस का आरोप है, जो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 22.02.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

8. अतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत की सुविधा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

9. अतः प्रार्थी–अभियुक्त **नवीन कुमार** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार कर, आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये की दो संतोषप्रद जमानतें तथा पचास हजार रूपये की राशि का स्वयं का मुचलका संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करवा ले, तो प्रार्थी अभियुक्त को नियमानुसार जमानत मुचलकों पर रिहा किया जावे।

(धीरज शर्मा)

10. आदेश आज दिनांक **23.03.2026** को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धीरज शर्मा)